राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 21/2013

रामबिलास पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

.......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांक: 23.07.2013 निर्णय दिनांक : 10.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता गोपाल पुत्र रूघनाथ, प्रभू पुत्री रूघनाथ के खाते की आराजी ग्राम बोरदा में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 32 में खसरा नं0 85 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 95 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 187 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 276 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 298 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 520 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 522 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 501 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 584 रकबा 7 बीघा खसरा नं0 586 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 618 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 623 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खसरा नं0 632 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 33 रकबा 55 बीघा 13 बिस्वा है जिसकी पुष्टी जमाबंदी सम्वत 2037–40 से होती है। साबिक खसरा नं0 520 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 522 रकबा 13 बिस्वा के बाद सेटलमेंट नया हाल खसरा नं0 547 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 549 रकबा 0.06 है0 कायम किये गये है। जिसकी पुष्टी जमाबंदी सम्वत 2067–70 व मिलान क्षेत्रफल 2044–2063 से होती है। यह कि साबिक खसरा नं0 से नये खसरा नं0 बनाते समय सेटलमेंट अधिकारियो ने लापरवारी बरतते हुए साबिक खसरा नं0 520 रकबा 10 बिस्वा की जगह हाल खसरा नं0 547 रकबा 0.06 है0 दर्ज कर दिया है। जो कि गत रकबे के मुकाबले 0.02 है0 कम दर्ज किया है। इसी तरह साबिक खसरा नं0 522 रकबा 13 बिस्वा के नये खसरा नं0 549 रकबा 0.06 है0 दर्ज कर दिया इसमें भी गत रकबे के मुकाबले 0.05 है0 रकबा कम दर्ज किया है। जबकि वर्तमान खसरा नं0 547 में 0.08 है0 खसरा नं0 549

0.11 है0 रकबा दर्ज होना चाहिए था। इसी तरह प्रार्थी को दोनो खसरा नं0 में 0.07 है0 रकबा कम दर्ज किया है। अतः निवेदन है कि नये खसरा नं0 547 रकबा 0.06 है0 में कमी रकबा 0.02 है0 की पूर्ति करते हुए वर्तमान रकबा 0.08 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। व खसरा नं0 549 रकबा 0.06 है0 में भी कमी रकबा 0.06 है0 की पूर्ति करते हुए वर्तमान रकबा 0.11 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 23.07.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/ केम्प किशनपुरा दिनांक 10.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम बोरदा के खसरा नं0 हाल 547 व खसरा नं0 549 दोनो खसरा नम्बरान जिसमें सम्पूर्ण बोरदा ग्राम बसा हुआ है। उसके समीपस्थ है। ये दोनो खसरा नम्बर भी आबादी में मिले हुए है। इसलिए कमी पूर्ति किया जाना संभव नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम बोरदा के खसरा नं0 हाल 547 व खसरा नं0 549 में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबे की पूर्ति हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 हाल 547 व खसरा नं0 549 दोनो खसरा नम्बरान जिसमें सम्पूर्ण बोरदा ग्राम बसा हुआ है। उसके समीपस्थ है। ये दोनो खसरा नम्बर भी आबादी में मिले हुए है। इसलिए कमी पूर्ति किया जाना संभव नही है और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नंम्बर से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।